भाग III

हरियाणा सरकार

गृह (पुलिस) विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जून, 2008

संख्या साठ काठ निठ 16/संविठ/अनुठ 309/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 में, नियम 6 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्निलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- ''(1) पुलिस उप अधीक्षक के 70% पद निरीक्षकों के पदों से पदोन्नति द्वारा तथा 27% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे ; परन्तु केवल वे निरीक्षक जो (अधीनस्थ पदों से पदोन्नत तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त दोनों) पदोन्नति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने निरीक्षक के रूप में छ: वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा की हो (तदर्थ सेवा को अनुभव के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा):

परन्तु यह और कि पुलिस उप अधीक्षक के कुल स्थाई पदों का 3%, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीते हों या उन खिलाड़ियों में से जो देश तथा हरियाणा राज्य के लिए असाधारण जयपत्र (लॉरल) लाए हों। ''।

के० एस० भोरिया, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME (POLICE) DEPARTMENT

Notification

The 24th June, 2008

- No. G. S. R. 16/Const./Art. 309/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Police Service Rules, 2002, namely:—
- 1. These rules may be called the Haryana Police Service (Amendment) Rules, 2008.
- 2. In the Haryana Police Service Rules, 2002, in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(1) 70% posts of Deputy Superintendents of Police shall be filled up by promotion from the rank of Inspectors and 27% by direct recruitment; Provided only those Inspectors will be eligible for promotion who (both promoted from subordinate ranks and directly recruited)have got six years regular satisfactory service as Inspector (Adhoc service will not be counted for the purpose of experience):

Provided further that 3% of the total permanent posts of Deputy Superintendents of Police, shall be reserved for outstanding sportspersons of Haryana who win a Gold, Silver or Bronze Medal in Olympic Games or those sportspersons who bring extraordinary laurel to the country and the State of Haryana.".

K. S. BHORIA,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Home Department.

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME (POLICE) DEPARTMENT

Notification

The 6th January, 2009

- No. G.S.R. 1/Const./Art. 309/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Police Service Rules, 2002, namely:—
- 1. These rules may be called the Haryana Police Service (Amendment) Rules, 2009.
- 2. In the Haryana Police Service Rules, 2002, in rule 6, for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(1) 70% posts of Deputy Superintendent of Police shall be filled up by promotion from the rank of Inspectors and 24% by direct recruitment:

Provided that only those Inspectors shall be eligible for promotion who (both promoted from subordinate ranks and directly recruited) have got six years regular satisfactory service as Inspector (Adhoc service will not be counted for the purpose of experience):

Provided further that 6% of the total posts of Deputy Superintendents of Police, shall be reserved for outstanding sportspersons of the Haryana State who win a gold, silver or bronze medal in olympic games or those sportspersons who bring extraordinary laurels to the country and the State of Haryana."

KRISHNA MOHAN, Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Home Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह (पुलिस) विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 जनवरी. 2009

संख्या साठकाठिन 1/संविठ/अनु० 309/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. ये नियम हरियाणा पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 2009 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 में, नियम 6 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—
 - "(1) पुलिस उप अधीक्षक के 70% पद निरीक्षकों के पदों से पदोन्नित द्वारा तथा 24% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे :

परन्तु केवल वे निरीक्षक जो (अधीनस्थ पदों से पदोन्नत या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त दोनों) पदोन्नित के लिए पात्र होंगे जिन्होंने निरीक्षक के रूप में छह वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा की हो (तदर्थ सेवा को अनुभव के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा):

परन्तु यह और कि पुलिस उप अधीक्षक के कुल पदों का 6% हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक या कास्य पदक जीते हों या उन खिलाड़ियों में से जो देश तथा हरियाणा राज्य के लिए असाधारण जयपत्र (लॉरल) लाए हों।"।

कृष्ण मोहन, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।